कार्यालय निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग राजस्थान जयपुर।

क्रमांक :–प.135/एनपीएस/जनरल/2016–17/ 86 दिनांक 03-11-2017

कार्यालय निर्देश

वित्त (नियम अनुभाग) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ12(9)एफडी (रूल्स)/2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 (प्रति संलग्न) द्वारा राजस्थान सिविल सर्विसेज (कन्ट्रीब्यूट्री पेंशन) रूल्स 2005 दिनांक 02.08.2005 एवं समसख्यक अधिसूचना राजस्थान सिविल सर्विसेज (कन्ट्रीब्यूट्री पेंशन)(अमेन्डमेंट) रूल्स 2006 दिनांक 13.03.2006 में आंशिक संशोधन करते हुए परिवीक्षा अवधि में एक मुश्त पारिश्रमिक प्राप्त कर रहे कार्मिकों को देय एक मुश्त पारिश्रमिक के 10 प्रतिशत एनपीएस कर्मचारी अंशदान की कटौती किये जाने तथा समतुल्य राशि नियोक्ता अंशदान के रूप में दिये जाने का प्रावधान किया गया है।

इस संदर्भ में पूर्व में जारी कार्यालय आदेश क्रमांक प.135/एनपीएस/जनरल/2016–17/44 दिनांक 28.02.2017 के अतिक्रमण में निम्न प्रकार आदेश जारी किये जाते है–

1. नवनियुक्त प्रशिक्षु राज्यकर्मियों के कार्य ग्रहण के साथ ही तत्काल प्रान जारी कराने की कार्यवाही की जावे।
2. प्रान जारी होने के पश्चात ही आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा वेतन बिल आहरित किये जाने की कार्यवाही की जावेगी।
3. एनपीएस कार्मिक का बिना प्रान के वेतन बिल पारित नहीं किया जावे।
4. एनपीएस के परिवीक्षाधीन कार्मिकों की 01 अक्टूबर 2017 से देय पारिश्रमिक पर 10 प्रतिशत राशि एनपीएस अंशदान के रूप में कटौती की जावेगी।
5. कर्मचारी अंशदान के समतुल्य राशि नियोक्ता (राजकीय) अंशदान के रूप में जिलाधिकारी (बीमा) द्वारा आहरित की जावेगी तथा नियमानुसार कर्मचारी एवं नियोक्ता अंशदान की राशि ट्रस्टी बैंक को स्थानांतरित की जावेगी।
6. समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारियों को भी पृथक से जिला स्तर से सूचित किया जावे।

उपरोक्त आदेशों की पालना सुनिश्चित करें।

(एन.के.सुरेलिया)
वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक (एनपीएस)

क्रमांक :–प.135/एनपीएस/जनरल/2016–17/ 4033-4124 दिनांक 03-11-2017

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. निजी सचिव, निदेशक महोदय, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग राजस्थान जयपुर।
2. वरिष्ठ अतिरिक्त/अतिरिक्त निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग राजस्थान, मुख्यालय एवं समस्त संभागीय कार्यालय।
3. अतिरिक्त निदेशक (सिस्टम) राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग राजस्थान जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेब साईट पर अपलोड करावें।
4. संयुक्त/उप/सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग समस्त जिला कार्यालय राजस्थान।
5. समस्त कोषाधिकारी राजस्थान।
6. रक्षित पत्रावली।

वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक (एनपीएस)

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
FINANCE DEPARTMENT
(RULES DIVISION)

No. F. 13(1)FD/Rules/2003 Jaipur, dated : 13.03.2006

NOTIFICATION

Subject :- Rajasthan Civil Services (Contributory Pension) Rules, 2005.

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor is pleased to make the following rules to amend further the Rajasthan Civil Services (Contributory Pension) Rules, 2005, namely:-

(1) These rules may be called the Rajasthan Civil Services (Contributory Pension) (Amendment) Rules, 2006

(2) They shall be deemed to have come into force with effect from 20.1.2006.

(3) In the aforesaid rules below existing clause (e) of Rule 2, the following new clause (f) shall be inserted, namely: -

"(f) Probationer trainee appointed on fixed remuneration."

By order of the Governor,

(M. L. Gupta)
Officer on Special Duty

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
FINANCE DEPARTMENT
(RULES DIVISION)

NOTIFICATION

No. F.12(9)FD(Rules)/2017 Jaipur, dated : 30th October, 2017

Subject :- **Amendment in the Rajasthan Civil Services (Contributory Pension) Rules, 2005.**

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor is pleased to make the following rules to amend further the Rajasthan Civil Services (Contributory Pension) Rules, 2005, namely.–

1. These rules may be called the Rajasthan Civil Services (Contributory Pension)(Amendment) Rules, 2017,

2. They shall be deemed to have come into force with effect from 01.10.2017.

3. In the aforesaid rules-

   (a) The existing clause (f) of Rule 2 shall be deleted.

   (b) Below existing clause (i) of Rule 4, the following proviso shall be inserted, namely.-

   "Provided that Contribution towards New Pension Scheme (NPS) @10% of fixed remuneration shall be made by the Probationer-trainee and employer both"

By order of the Governor,

(Manju Rajpal)
Secretary to the Government
Finance (Budget)